SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
April – June 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-2

# कलाकारों के नैतिक अधिकार और भारतीय विधिक परिप्रेक्ष्य

**भक्ति अग्रवाल**
**सहायक प्राध्यापक, ललितकला**
**श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)**

**सारांश**

यह शोध पत्र कलाकारों के नैतिक अधिकारों (Moral Rights of Artists) के कानूनी और सांस्कृतिक महत्व का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। एक कलाकार की रचना उसके अस्तित्व, भावनाओं और सामाजिक दृष्टिकोण का प्रतीक होती है, और उस रचना से कलाकार का व्यक्तिगत एवं नैतिक संबंध बना रहता है। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 57 भारत में इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है, जिसमें कलाकार को अपनी कृति को विकृत, विरूपित या गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही यह शोध अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यवस्थाओं जैसे बर्न कन्वेंशन की तुलना में भारत की स्थिति का मूल्यांकन करता है। समकालीन उदाहरणों, न्यायिक व्याख्याओं और कलाकारों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के माध्यम से यह शोध नैतिक अधिकारों की महत्ता और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

यह अध्ययन भारतीय विधिक प्रणाली में नैतिक अधिकारों की स्थिति, उनकी सीमाओं, अदालती दृष्टिकोणों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों से तुलना के साथ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही डिजिटल युग में इन अधिकारों की रक्षा से संबंधित चुनौतियों और संभावित समाधानों पर भी विचार किया गया है। शोध का उद्देश्य यह है कि नैतिक अधिकारों को न केवल कानून के दायरे में रखा जाए, बल्कि उन्हें व्यावहारिक रूप में भी लागू किया जा सके।

**बीज शब्द**

नैतिक अधिकार, कलाकार, कॉपीराइट अधिनियम 1957, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कला कानून, भारत, बौद्धिक संपदा, बर्न कन्वेंशन।

**प्रस्तावना**

कलाकार की रचना केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि भावनात्मक संबंध का परिणाम होती है। जब कोई कलाकृति सार्वजनिक होती है, तब भी कलाकार का उससे संबंध बना रहता है। कला केवल कल्पना या मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि रचनाकार के आत्म-प्रकाशन का माध्यम होती है। जब कोई कलाकार चित्र, मूर्ति, साहित्य या संगीत की रचना करता है, तो वह उसमें अपने विचार, भावनाएं और दर्शन समाहित करता है। इसीलिए कलाकार का अपनी कृति से एक नैतिक और भावनात्मक संबंध बन जाता है। यह संबंध केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहता।

इसी संदर्भ में "नैतिक अधिकार" का विचार उत्पन्न होता है। जो रचनाकार को अपनी कृति के साथ जुड़े सम्मान, श्रेय और उसकी मौलिकता की रक्षा का अधिकार देती है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत इन अधिकारों की व्याख्या की गई है। यह शोध इसी विषय पर केंद्रित है कि कैसे भारतीय विधिक प्रणाली कलाकारों के इन अधिकारों की रक्षा करती है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

हालांकि, इन अधिकारों की प्रभावशीलता व्यावहारिक स्तर पर अक्सर बाधित होती है— जैसे कलाकृति में बिना अनुमति परिवर्तन, सार्वजनिक प्रदर्शन में नाम हटाना या डिजिटल माध्यम में रूपांतरण। यह शोध पत्र इस बात की जांच करता है कि भारतीय कानून नैतिक अधिकारों की किस हद तक रक्षा करता है, कौन-सी व्याख्याएँ न्यायालयों द्वारा दी गई हैं, और किन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है।

**शोध विधि**

इस शोध में गुणात्मक अनुसंधान पद्धति अपनाई गई है, जिसमें कानूनी विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन, द्वितीयक स्रोतों का विश्लेषण जैसे पुस्तकों, शोध पत्रों, विधिक लेखों और जर्नलों का अध्ययन के साथ समकालीन उदाहरणों और केस स्टडी का उपयोग विधियाँ प्रमुख हैं।

**शोध विस्तार**

**नैतिक अधिकार की अवधारणा -** नैतिक अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी कलाकार को उसकी रचना के साथ भावनात्मक संबंध के कारण प्राप्त होते हैं। इनमें प्रमुखतः दो अधिकार शामिल होते हैं पहला श्रेय का अधिकार इसमें कलाकार को उसकी कृति के लिए उचित श्रेय

दिया जाए। दूसरा अखंडता का अधिकार इसमें उसकी कृति में बिना अनुमति कोई संशोधन, विकृति या विरूपण न किया जाए।

**भारत में विधिक व्यवस्था -** भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत नैतिक अधिकारों को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसमें उल्लेख है कि रचनाकार को अपनी कृति के विरूपण, विरचना या किसी अन्य तरीके से हानि पहुँचाने पर आपत्ति करने का अधिकार है।

**महत्वपूर्ण निर्णय:** एक प्रमुख केस जिसमें मूर्तिकार की रचना को हटाए जाने को कोर्ट ने नैतिक अधिकार का उल्लंघन माना।

**अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यवस्था -** नैतिक अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है—इन अधिकारों को आर्थिक अधिकारों से अलग रखा गया है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में नैतिक अधिकारों को अपरिहार्य माना गया है। अमेरिका में सीमित नैतिक अधिकार 'Visual Artists Rights Act' (1990) के अंतर्गत मान्य हैं।

**समकालीन चुनौतियाँ**

1. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना श्रेय के कृतियों का प्रसार किया जाना।
2. कलाकारों की पहचान हटाकर कार्य का व्यावसायीकरण कना।
3. व्यावसायीकरण के चलते कलाकृतियों में अवांछित बदलाव किया जाना।
4. न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता और कलाकारों की जागरूकता की कमी होना।

**समाधान और सुझाव**

1. कलाकारों में जागरूकता अभियान
2. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट मॉनिटरिंग टूल्स
3. विशेष नैतिक अधिकार न्यायाधिकरण की स्थापना
4. कानून में दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत करना

## निष्कर्ष

भारतीय विधिक प्रणाली में कलाकारों के नैतिक अधिकारों की स्पष्ट मान्यता है, किंतु इसके क्रियान्वयन में व्यावहारिक बाधाएँ हैं। न्यायपालिका ने इन अधिकारों को कई मामलों में विस्तार दिया है, डिजिटल माध्यम और व्यावसायीकरण ने नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं जिनका समाधान कानूनी सुधार, सार्वजनिक जागरूकता और प्रभावी न्यायिक उपायों के माध्यम से संभव है। नैतिक अधिकारों की रक्षा न केवल कलाकार के लिए, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है।

कलाकार की रचना न केवल उसकी बौद्धिक संपत्ति है, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब भी है। अतः इन अधिकारों की रक्षा आवश्यक है ताकि कला का आत्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप अक्षुण्ण बना रहे। नैतिक अधिकारों की व्यावसायिक और डिजिटल युग में भी प्रभावी संरक्षण हेतु, कानून में सतत सुधार, न्यायपालिका की संवेदनशीलता और समाज की जागरूकता—तीनों आवश्यक हैं।

## संदर्भ सूची

1. The Copyright Act, 1957 (India)
2. Amarnath Sehgal v. Union of India, 2005
3. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Article 6bis
4. Gopala krishnan, N.S. (2007). Intellectual Property and Moral Rights of the Author.
5. Narayanan, P. (2010). Law of Copyright and Industrial Designs.
6. Dhavan, Rajeev (1992). Copyright Law and Cultural Preservation in India.
7. WIPO (World Intellectual Property Organization) reports
8. Journal of Intellectual Property Rights, CSIR-NIScPR